I/5928/2022

File No. अधि/8/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 4237)

I/5928/2022

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड(HoFF),देहरादून।

पत्रांक I/5928/2022 /29–1–(1) देहरादून, दिनांक 01 सितम्बर 2022.

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
2.समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
3.समस्त मुख्य वन संरक्षक,उत्तराखण्ड।
4.समस्त वन संरक्षक/निदेशक उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी।

विषयः– **मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित अवमानना वाद संख्या– 594–595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबाग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमानना वाद संख्या–849– 850/2021 पृथ्वी सिंह राण, अध्यक्ष,उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कस एसोसिएशन बनाम एस0एस0 संधू व अन्य के संबंध में।**

सन्दर्भः– **मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन,उत्तराखण्ड,देहरादून का पत्रांक– 203/29–1–(1) दिनांक 03.08. 2022 पत्रांक 234/29–1(1) दिनांक 08.08.2022.पत्रांक 254/29–1(1) दिनांक 16.08.2022 एवं पत्रांक 288/29. 1(1) दिनांक 23.08.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित का अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित **अवमाननावाद संख्या– 594–595/2020 उत्तरांचल वन श्रमिक संघ, रानीबग व अन्य बनाम ओम प्रकाश व अन्य एवं अवमाननावाद संख्या– 849–850/2021 पृथ्वी सिंह राणा, अध्यक्ष,उत्तराखण्ड फॉरेस्ट डेली वेजेज वर्कस एसोसिएशन बनाम एस0एस0संघू व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा अवमानना वादों में दिनांक 19.07.2022 को पारित आदेश** के अनुपालन में उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्धारित **प्रपत्र में सूचना एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने** हेतु लिखा गया है किन्तु कतिपय कार्यालयों द्वारा प्रेषित सूचना से प्रतीत होता है कि पारिश्रमिक रू0 8213/–न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी संशोधिन आदेश पत्रांक क–578/1–14(4)दिनांक 18.10.2019(**प्रति संलग्न**) एवं **पत्रांक क–1265/1–14(4) दिनांक 17.05.2022(प्रति संलग्न) से न्यूनतम वेतन अधिनियम–1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता** का भुगतान नही हो रहा है। सुलभ सन्दर्भ हेतु न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें व समय–समय पर निर्धारित परिवर्तन महंगाई भत्ता निम्न तालिका में की गयी है।

तालिक–1 न्यूनतम मजदूरी दर

क0 सं0	कर्मचारियों की श्रेणी	एक लाख या उससे अधिक आबादी वाले उत्तराखण्ड के नगरों में वयस्क कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रू0 में)	उत्तराखण्ड के शेष भागों में देय मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें (प्रतिमाह रू0 में)
1	अकुशल	8331	8213
2	अर्द्धकुशल	8924	8788
3	कुशल	9518	9370
4	लिपिक वर्गीय कर्मचारी		
	(क) श्रेणी–एक	10520	10328
	(ख) श्रेणी– दो	9772	9611

तालिक –2 परिवर्तनीय मंहागाई भत्ता (प्रति माह रू0 में)

01.10.2019 से 31.03.2020	01.04.2020 से 30. 09.2020	01.10.2020 से 31.03.2021	01.04.2021 से 30.09.2021	01.10.2021 से 31.03.2022	01.04.2022 से 30. 09.2022
200	460	560	800	880	1140

Generated from eOffice by MAMTA BHANDARI, SAO-MAMTA, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 01/09/2022 05:10 pm

आई०टी०सेल

File No. अधि/8/2022-F3-FOREST DEPT (Computer No. 4237)

I/5928/2022

I/5928/2022

2. इसके अतिरिक्त यह भी पाया जा रहा है कि दैनिक श्रमिकों के आवेदन प्रपत्र भाग–2 भाग–3 पर अंकित नियंत्रक अधिकारी द्वारा दावे के सहमत/असहमत बिना संस्तुति के ही प्रेषित किये जा रहे है।
3. यह भी अवगत कराये कि दैनिक श्रमिक स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्य कर रहे है अथवा नही जिससे उस पद की तुलना की जा सके।

अतः उक्त दैनिक श्रमिक को नियमानुसार मजदूरी भुगतान के संबंध में अग्रिम कार्यवाही करते हुये उक्त सूचना शीघ्र निर्धारित प्रपत्र **(जो www.forest.uk.gov.in वेबसाइड पर भी अपलोड किया है) पर** प्राप्त कर **ई–मेल/लौटती डाक** से शीघ्र मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून को उपलब्ध कराने कष्ट करें ताकि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय से आच्छादित समान प्रकृति के कोई दैनिक श्रमिक आदेशों के अनुपालन से वंचित न रह जाय।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

Signed by Vinod Kumar
Date: 01-09-2022 11:03:43

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1/5928/2022/29–1–(1) दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण, अनुभाग–1, उत्तराखण्ड, शासन।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक,सतर्कता एवं विधि प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि मा0 न्यायालय को अनुपालन से अवगत कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित की पत्र को विभागीय बेवसाइड में अपलोड करवाने का कष्ट करे।

(विनोद कुमार)
प्रमुख वन संरक्षक(HoFF)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

I.T.C.C
2/9

Generated from eOffice by MAMTA BHANDARI, SAO-MAMTA, SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER, FOREST DEPT on 01/09/2022 05:10 pm